

प्रेषक,

महानिदेशक,
महानिदेशालय परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

30-03-2016

दिनांक: 2016

पत्रांक: प0क0/08-प्रशि0/अरबन आशा (1)/2016-17/4760-75

विषय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2016-17 हेतु शहरी आशा योजना के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-9 के शासनादेश सं0 1722/5-9-2005-9(277)/84 दिनांक 23 अगस्त, 2005 के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आशा योजना का संचालन प्रारम्भ किया गया था। वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गुणवत्तापरक निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को उपमिशन के रूप में सम्मिलित किया गया है। शहरी क्षेत्र विशेषकर स्लम वस्तियों में स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय तक पहुँचाने एवं उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं से विभाग को अवगत कराने के उद्देश्य से शहरी आशाओं का घयन किया गया है।

1. शहरी आशा की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

आशा समुदाय को स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कराने में सहायता प्रदान करने के साथ ही शहरी आबादी के वंचित वर्गों विशेषतय: महिलाओं एवं बच्चों को समस्त प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्रदान करेगी तथा समुदाय एवं स्वास्थ्य कर्मियों के मध्य सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त शहरी आशा निम्नलिखित कार्य संपादित करेगी-

- 1.1 गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव तैयारी, सुरक्षित प्रसव का महत्व, स्तनपान, सम्पूरक आहार, टीकाकरण के सम्बन्ध में महिलाओं को परामर्श प्रदान करना।
- 1.2 गर्भवती महिला अथवा बच्चे को उपचार की आवश्यकता पड़ने पर एक पूर्व निर्धारित नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र यथा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रथम संदर्भन इकाई पर साथ लेकर जाना अथवा संदर्भन के लिए प्रवन्ध करना।
- 1.3 प्रशिक्षण पश्चात् गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) कार्यक्रम में आशा द्वारा जन्म से 42 दिन तक नवजात शिशु एवं माँ की 6 से 7 बार गृह भ्रमण के दौरान देखभाल करना।
- 1.4 सरकार द्वारा शहरी स्वास्थ्य इकाईयों पर उपलब्ध करायी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराना एवं प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना।
- 1.5 सरकार द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सामग्री जैसे- ओ0आर0एस0, आयरन की गोलियों, ब्लोरोक्विन, डी.डी. किट, गर्भनिरोधक गोलियों तथा कण्डोम, आकस्मिक गर्भनिरोधक गोली आदि के लिए डिपो होल्डर के रूप में कार्य करना।
- 1.6 प्रजनन तंत्र/यौन जनित संक्रमण के सम्बन्ध में समुचित जानकारी प्रदान करना।
- 1.7 आशा द्वारा ए.एन.एम. के साथ मिलकर अपने कार्यक्षेत्र में महिला आरोग्य समितियों के गठन एवं विकास में सहयोग करना एवं महिला आरोग्य समितियों के सहयोग से स्वास्थ्य योजना तैयार करना।
- 1.8 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत घरों में शौचालय निर्माण के लिए जागरूकता उत्पन्न करना।
- 1.9 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जानकारी प्रदान करना तथा जागरूकता उत्पन्न करना।
- 1.10 अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित घरों में जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण कराने हेतु परिवार को प्रेरित करना, नगरीय क्षेत्र के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण इकाईयों को सूचित करना तथा समुदाय में फैलने वाले अन्य रोगों की सूचना नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपलब्ध कराना।

- 1.11 विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य संपादित करना।
- 1.12 पुनरक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत डॉट्स प्रदाता के रूप में कार्य करना।
- 1.13 अन्धता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत मोतियाबिन्द से ग्रसित व्यक्तियों को चिन्हित करना तथा चिकित्सालय/कैम्प में संदर्भित करना।
- 1.14 सामान्य रोगों, यथा-दस्त, बुखार, हल्की चोटों के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर आवश्यकतानुसार संदर्भित करना।
- 1.15 अल्पसेवित, असेवित, स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग न कर पाने में सक्षम, परिवारों पर विशेष ध्यान देना।
- 1.16 उपरोक्त के अतिरिक्त शहरी आशा के सम्बन्ध में केन्द्र अथवा राज्य स्तर से निर्धारित अन्य कार्य का संपादन करना।
- 1.17 शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजीका को अधुनात करना।

आशा कार्यक्रम को सुचारू एवं प्रभावी रूप से चलाने हेतु शहरी आशा योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियाँ हेतु दिशा-निर्देश निम्नानुसार प्रेषित किये जा रहे हैं-

2. शहरी आशा प्रतिपूर्ति राशि

शहरी आशा द्वारा किये जा रहे कार्यों के आधार पर विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों में प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना है। प्रतिपूर्ति राशियों में सत्तमय भुगतान किये जाने से आशाओं के उत्साह, मनोबल एवं कार्य क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे वह अपने कार्यों को और सक्रिय रूप से कर पाने में सक्षम हो पायेंगी तथा समुदाय को गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। इन गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित किये जाने एवं अभिलेखीकरण हेतु शहरी आशाओं को शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर दिया जायेगा। यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसमें शहरी आशा अपने क्षेत्र में किये जाने वाले सभी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियों एवं सेवाओं का उल्लेख करेगी। जिसकी सहायता से शहरी आशा के कार्य के सत्यापन में मदद मिलेगी एवं शहरी आशा को समय से प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में शहरी आशाओं को उनके द्वारा किये जाने वाले नियमित गतिविधियों के लिए प्रतिपूर्ति राशि के रूप में ₹0 1000/- प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान किया गया है। इन गतिविधियों का विवरण एवं गतिविधियों के लिए दी जाने वाली धनराशि निम्न तालिका में दी गयी है-

एफ.एम. आर. कोड	क्र. सं.	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि (₹0 में)
P.6.1.B	1	शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने पर	200
	2	*महिला आरोग्य समिति की बैठक का आयोजन, प्रतिभाग एवं अभिलेखीकरण करने पर	150
	3	शहरी आशाओं को सी.एच.सी./पी.एच.सी. पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय	150
	4	वर्ष के आरम्भ में एवं 6 माह के पश्चात परिवारों की सूची तैयार करने पर तथा मासिक रूप से अद्यतन करने पर	100
	5	शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु सहायता करने पर	100
	6	टीकाकरण हेतु बच्चों का ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	100
	7	ANC लाभार्थियों का लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	100
	8	योग्य दम्पतियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	100
नियमित गतिविधियों के लिए कुल प्रतिपूर्ति राशि			1000

*उपरोक्त गतिविधियों में से जब तक महिला आरोग्य समिति का गठन नहीं किया जाता है, तब तक उक्त मद में अधिकतम धनराशि कुल ₹0 850/- प्रतिमाह ही अनुमन्य होगी

- 2.1 शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने पर— शहरी आशा द्वारा शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के एक दिन पूर्व समस्त लाभार्थियों को शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में प्रतिभाग किये जाने हेतु सूचित करेगी। शहरी आशा को अपने क्षेत्र में आयोजित शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने, स्वयं उपस्थित रहने हेतु ₹0 200/- प्रतिमाह प्रावधानित किया गया है।
- 2.2 महिला आरोग्य समिति की बैठक का आयोजन, प्रतिभाग एवं अभिलेखीकरण करने पर — शहरी आशा द्वारा प्रतिमाह अपने क्षेत्र में गठित महिला आरोग्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा एवं सदस्य सचिव के रूप में समस्त कार्यविधि को भी अभिलेखीकृत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे। उक्त बैठक के अंतर्गत आने वाली समस्त शहरी आशाओं को बैठक में सहयोग व प्रतिभाग करने पर ₹0 150/- दिया जायेगा।
- 2.3 शहरी आशाओं को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मासिक क्लस्टर बैठक में भाग लेने हेतु— शहरी आशाओं की मासिक क्लस्टर बैठकों का आयोजन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर किया जाता है। इस बैठक में प्रतिभाग करने पर आशाओं को प्रतिमाह ₹0 150/- प्रतिपूर्ति राशि के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
- 2.4 कार्य क्षेत्र में सर्वे को अद्यतन करना — उक्त मद के अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में प्रत्येक माह अद्यतन करना होगा। कार्यक्षेत्र में यदि नये परिवार जुड़े हैं अथवा वर्तमान परिवारों में जन्म/मृत्यु/विवाह हुआ हो तो इनका मासिक आधार पर अंकन किया जाना होगा। इस कार्य हेतु शहरी आशा को ₹0 100/- प्रति माह प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान किया गया है। आशा को प्रत्येक 6 माह में अपने कार्यक्षेत्र के समस्त परिवारों का क्षेत्र भ्रमण करके रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में वार्ड सर्वे तालिका में सूचनाएं अंकित/अद्यतन की जानी होंगी।
- 2.5 शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु सहायता करने पर— शहरी आशा को अपने सूचकांक रजिस्टर को मासिक आधार पर अद्यतन रखना होगा तथा अपने कार्यक्षेत्र में समस्त जन्मों एवं मृत्युओं के पंजीकरण में सहयोग प्रदान करना। इस कार्य हेतु आशा को ₹0 100/- प्रति माह प्रतिपूर्ति राशि का प्राविधान किया गया है।
- 2.6 टीकाकरण हेतु ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर— रजिस्टर में सम्बन्धित भाग में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं हेतु अपेक्षित लाभार्थियों (टीकाकरण हेतु बच्चों, गर्भवती महिलाओं) की सूची तैयार करनी है। इस हेतु शहरी आशाओं को प्रतिमाह ₹0 100/- प्रतिपूर्ति राशि का प्राविधान किया गया है। शहरी आशाओं द्वारा सही एवं पूर्ण रूप से ड्यू लिस्ट बनाने पर ड्राप आउट एवं लेपट आउट बच्चों, गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण में मदद मिलेगी जिससे उनको समय-समय पर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। ड्यू लिस्ट बनाने समय अल्पसेवित परिवारों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- 2.7 ANC लाभार्थियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर— राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। शहरी आशाओं से अपेक्षा की जाती है कि सभी गर्भवती महिलाओं की जल्द से जल्द पहचान कर पंजीकरण तथा न्यूनतम 3 प्रसव पूर्व जाँचे करायेगी एवं संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करें जिससे क्षेत्र की मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लायी जा सके। रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव सेवा एवं टीकाकरण सम्बन्धी विवरणों को अंकित किया जाना है। इस हेतु शहरी आशाओं को प्रतिमाह ₹0 100/- प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान किया गया है। शहरी आशाओं द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसव योजना तैयार की जानी है। इसके अंतर्गत शहरी आशा गर्भवती महिलाओं से संपर्क कर उनका पंजीकरण कराना, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रसव स्थान का चिन्हीकरण, परिवहन की व्यवस्था, प्रसव के समय सहयोग करने वाले परिवार के सदस्यों का चिन्हीकरण का विवरण शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजीका के सम्बन्धित भाग में अंकित किया जाना है।
- 2.8 योग्य दम्पतियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर— शहरी आशा, अपने शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में जो परिवार नियोजन के लिए योग्य दम्पतियों के विवरण

से सम्बन्धित है, क्षेत्र के रहने वाले समस्त योग्य दम्पतियों की सूची बनाकर अद्यतन करेगी। इस कार्य हेतु रू0 100/- प्रतिमाह का प्राविधान किया गया है।

नोट- यदि किसी कारण से आशा उपरोक्त वर्णित गतिविधियों में से किसी एक या अधिक गतिविधि को पूर्ण नहीं कर पाती तो शेष गतिविधियों में शहरी आशा को भुगतान किया जायेगा। उदाहरण- यदि किसी कारणवश शहरी आशा अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाली शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में प्रतिभाग नहीं करती है एवं शहरी आशा द्वारा अन्य गतिविधियों में प्रतिभाग किया गया है तो उस दशा में शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में प्रतिभाग नहीं करने हेतु अनुमोदित राशि रू0 150/- का भुगतान नहीं किया जायेगा।

शहरी आशा द्वारा नियमित गतिविधियों के लिए दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त जननी सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण, पल्स पोलियो, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय कार्यक्रमों, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि अन्य कार्यक्रमों में भी आशा हेतु कार्य के आधार पर प्रतिपूर्ति राशियों का प्राविधान है। जिसके विस्तृत दिशा-निर्देश सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्रेषित किये जा रहे हैं।

3. शहरी आशा को प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु दिशा-निर्देश

- 3.1 जिन आशाओं ने 8 दिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो उन्हीं आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। शहरी आशाओं द्वारा अपने क्षेत्र में किये गये कार्यों के लिये ही भुगतान किया जाये।
- 3.2 शहरी आशा द्वारा विगत माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख तक की गयी समस्त गतिविधियों का विवरण आशा पेमेन्ट वाउचर में अंकित कर माह की 25 तारीख तक क्षेत्रीय ए.एन.एम. को उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए, साथ ही ए.एन.एम. का भी यह दायित्व होगा कि माह की 25 तारीख तक अपने क्षेत्र की समस्त आशाओं से वाउचर एकत्र कर लें।
- 3.3 ए.एन.एम. द्वारा माह की 30 तारीख तक वाउचर में अंकित गतिविधियों का सत्यापन कर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पास जमा करा दिये जाये। ए.एन.एम. द्वारा अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान शहरी आशा द्वारा किये गये कार्यों का नियमित सत्यापन कर शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर में अंकित कर देना चाहिए, इससे माह के अन्त में वाउचर के सत्यापन में आसानी होगी। यदि ए.एन.एम. अपने सम्बन्धित शहरी आशाओं द्वारा किये गये कार्यों का सत्यापन माह में होने वाली मासिक बैठक से पूर्व ही कर लेती है, तो नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर होने वाली मासिक बैठक में शहरी आशाओं के क्षमता निर्माण हेतु व अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए अधिक समय मिल सकेगा।
- 3.4 उपरोक्त संकलित वाउचर के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी (डाटा कम एकाउन्ट एसिसटेन्ट) द्वारा एक्सेल शीट तैयार की जायेगी जिसे संकलित वाउचर के साथ अगले माह की 2 तारीख तक डाटा कम एकाउन्ट एसिसटेन्ट को भुगतान हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि अगले माह की 5 तारीख तक आशा के खातों में PFMS वेब पोर्टल के माध्यम से धनराशि स्थानान्तरित की जाये। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी यह भी सुनिश्चित करायेंगे कि समस्त वाउचर भुगतान के पश्चात् शहरी आशा मास्टर पेमेंट रजिस्टर पर अंकित करा दिया जाये।
- 3.5 अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर/जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर जनपद के समस्त नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आशा मास्टर पेमेंट रजिस्टर की उपलब्धता के सम्बन्ध में जानकारी देंगे तथा समस्त नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आशा पेमेन्ट रजिस्टर उपलब्ध कराना, एवं नियमानुसार वाउचरों का अंकन नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 3.6 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा आशा भुगतान की संकलित सूचना माह की 10 तारीख तक प्रपत्र 3 पर जिला स्तरीय जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/अरबन कोऑर्डिनेटर को उपलब्ध करा दी जाये। जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर द्वारा प्रपत्र 4 पर माह की 12 तारीख तक राज्य स्तर (राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई) को अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।
- 3.7 जिला स्तर पर भी आशा प्रतिपूर्ति भुगतान राशि के विवरण को कम्प्यूटर में सुरक्षित रखा जाये जिसमें नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनुरूप सम्बन्धित माह में आशाओं को भुगतान की गयी कुल प्रतिपूर्ति राशि का विस्तृत विवरण प्रपत्र-3 के अनुरूप अंकित की जाये।

- 3.8 आगामी माह की शहरी आशाओं की मासिक क्लस्टर बैठक में आशाओं को उनके द्वारा प्रस्तुत वाउचर के सापेक्ष उनके खाते में स्थानान्तरित की गयी धनराशि की सूचना प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा सूचनापट्ट पर चरपा करवा दी जाये।
- 3.9 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आशाओं को किये गये भुगतान राशि को मासिक आधार पर आशा डाटा बेस में अंकन किया जाये। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उक्त अंकन में आशा को माह में प्राप्त होने वाली समस्त प्रतिपूर्ति राशियों को सम्मिलित किया जाये।
- 3.10 भुगतान के उपरान्त सम्बन्धित विवरण नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" में सुरक्षित रखा जाये। साथ ही मास्टर पेमेन्ट की Soft Copy कम्प्यूटर में Excel Sheet में भी बना ली जाये, जिससे अनुश्रवण में आसानी हो। निर्धारित वाउचर एवं प्रपत्रों के प्रारूप में किसी भी प्रकार का बदलाव न किया जाये, ऐसा करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।
- 3.11 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" के माध्यम से प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा मासिक आधार पर अच्छा कार्य कर रही आशाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे अन्य आशाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। इसके अतिरिक्त उन गतिविधियों/कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिसमें आशा द्वारा अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जायेगी एवं इन कारणों को दूर करने के उपाय किये जायेंगे। आवश्यकता पड़ने पर ऐसी आशाओं की क्षमतावर्द्धन हेतु आशाओं की मासिक बैठक में चर्चा की जानी चाहिए।
- 3.12 किसी भी परिस्थिति में आशाओं का भुगतान लंबित न रखा जाये। जनपद में आशा भुगतान हेतु जनपदीय अरबन नोडल अधिकारी (NUHM) एवं अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। आशा भुगतान की प्रतिमाह जनपद स्तर पर समीक्षा की जाये एवं इसे जिला स्वास्थ्य समिति के नियमित एजेण्डा में भी सम्मिलित किया जाये।
- 3.13 यदि किसी शहरी आशा को भुगतान प्रपत्र भरने में कोई समस्या आती है, तो ऐसी स्थिति में DCAA प्रपत्र भरने में आशा को मार्गदर्शन देना सुनिश्चित करें।
- 3.14 शहरी आशा भुगतान अभिलेखों को ऑडिट एवं अन्य जाँच हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा सुरक्षित रखा जाये ताकि किसी भी समय किसी विभागीय अधिकारी द्वारा इन अभिलेखों का सत्यापन किया जा सके।
- 3.15 प्रभारी चिकित्साधिकारी अथवा DCAA द्वारा यदि आशा भुगतान के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से अनियमितता की जाती है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा भुगतान की गयी धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूल कर ली जाये।

4. शहरी आशा को ड्रग किट दिये जाने हेतु दिशा निर्देश-

आशा ड्रग किट का उद्देश्य प्रदेश की समस्त शहरी आशाओं को आरम्भिक उपचारात्मक देखभाल प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रशिक्षण के अनुसार सामान्य रोग जैसे- दस्त, बुखार आदि के आरम्भिक प्रबन्धन परिवार नियोजन सामग्रियों के वितरण आदि के लिए ड्रग किट दी जा रही है।

भारत सरकार द्वारा आशा ड्रग किट दिये जाने के सम्बन्ध में जारी मॉडल दिशा-निर्देशों के क्रम में निम्न औषधियों को शहरी आशाओं को दिये जाने का प्राविधान किया जा रहा है।

4.1 शहरी आशा की दवा किट में रखी वस्तुओं की सूची

क्र.स.	दवा/ सामग्री	1 माह के लिए अनुमानित आवश्यकता
1	घर पर स्वच्छ प्रसव के लिए डीडीके किट	3
2	पैरासीटामाल टैबलेट	20
3	आयरन फॉलिक एसिड (एल) की गोलियाँ	400
4	डाइसाइक्लोमाइन टैबलेट	20
5	जिंक टैबलेट	50
6	ओआरएस के पैकेट	10

7	निश्चय किट	3
8	कण्डोम (3 का पैकेट)	30
9	खाने की गर्भनिरोधक गोलियां (चक्रों में)	10
10	आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली	10
11	साबुन	1
12	विसंक्रमित रूई (50 ग्राम)	1
13	पोविडाइन मलहम की ट्यूब	1
14	पट्टियां 4 सेमी. X 4 मीटर	2

उपरोक्त तालिका में वर्णित सामग्रियों एवं उनकी मात्रा में स्थानीय आवश्यकताओं एवं सामग्री की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

4.2 शहरी आशा ड्रग किट का उपयोग करने हेतु निर्देश-

आशा ड्रग किट दिये जाने के समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक आशा के पास हमेशा कम से कम एक माह का दवाओं का स्टॉक उपलब्ध रहे। दवाओं पर चिपके हुए लेबल अंग्रेजी भाषा में होते हैं। अतः प्रयास यह होना चाहिए कि दवायें अलग-अलग रंग की थैलियों में उपलब्ध करायी जायें, जिससे कि शहरी आशाओं को औषधि वितरण में किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो।

4.3 आशा ड्रग किट की नियमित रिफिलिंग की जायेगी:- प्रारम्भ में दी गयी मात्रा के अनुसार अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत समस्त शहरी आशाओं की संख्या के आधार पर ए.एन.एम. समस्त सामग्री नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के औषधि भण्डार से प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् अपने कार्यक्षेत्र की समस्त आशाओं को उपरोक्त सामग्री वितरित करेगी।

4.4 शहरी आशाओं के मासिक बैठक के दौरान आशायें अपनी ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर में उल्लेखित स्टॉक इन्ट्री के आधार पर सम्बन्धित ए.एन.एम. शहरी आशा को दवा/अन्य सामग्री उपयोग किये जाने की सूचना देगी। जिसे ए.एन.एम. द्वारा निम्न निर्धारित प्रपत्र पर संकलित किया जायेगा।

क्र.स.	दवा / सामग्री	शहरी आशा 1 द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	शहरी आशा 2 द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	शहरी आशा द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	शहरी आशाद्वारा उपयोग की गयी मात्रा	क्षेत्र की सभी शहरी आशाओं द्वारा उपयोग की गयी कुल मात्रा
1	घर पर स्वच्छ प्रसव के लिए डी.डी. के. किट					
2	पैरासीटामॉल टैबलेट					
3	आयरन फॉलिक एसिड (एल) की गोलियां					
4	डाइसाइक्लोमाइन टैबलेट					
5	जिंक टैबलेट					
6	ओ.आर.एस. के पैकेट					
7	निश्चय किट					
8	कण्डोम					
9	खाने की गर्भनिरोधक गोलियां (चक्रों में)					
10	आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली					
11	साबुन					

12	विसंक्रमित रूई (50 ग्राम)				
13	पोविडाइन मलहम की ट्यूब				
14	पट्टियाँ 4 से.मी. X 4 मीटर				

- 4.5 ए.एन.एम. प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के औषधि भण्डार से औषधि प्राप्त करेगी, तत्पश्चात् आशाओं को औषधि/अन्य सामग्री उपलब्ध कराएगी। उक्त दवा एवं सामग्री का स्टॉक एवं स्टॉक बुक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के फार्मासिस्ट की निगरानी में रखा जायेगा।
- 4.6 रिफिलिंग करते समय यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि यदि पहले से ड्रग किट में कोई दवा Expiry Date के निकट हो या Expire हो गयी हो तो उन्हें तत्काल बदल दिया जाय तथा इस बात का ध्यान रखा जाय कि ड्रग किट में दी जाने वाली दवाओं की Expiry Date कम से कम 1 वर्ष बाद की हो। आशा, ड्रग किट का रिकार्ड शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में अंकित करेगी।
- 4.7 आशा को ड्रग किट में प्रदान की जाने वाली दवाओं का वितरण पत्र के साथ संलग्न है, जिसको प्रत्येक आशा मासिक बैठक में आशाओं को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित किया जाये।

4.8 नवीन शहरी आशा के लिए आशा ड्रग किट के लिए वित्तिय दिशा-निर्देश

वर्ष 2016-17 के FMR Code P.6.1.C के अन्तर्गत नवीन शहरी आशाओं के लिए ₹0 750/- अनुमोदित किया गया है। इन नवीन शहरी आशाओं को ₹0 450/- की दर से बैग और ₹0 300/- औषधियों हेतु मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्तर से अवमुक्त की जा रही है। जिसका मानक ग्रामीण आशाओं के दिशा-निर्देश के अनुरूप निश्चित किया गया है।

4.8.1 नवीन आशाओं को दिये जाने वाले बैग हेतु मानक -

- 18x13 inch with bollom 4 inch.
- Denial Fine Matty cloth (Black Colour).
- Three pocket.
- One side nylon bottle holder with elastic.
- One set hanging holder strip with adjuster.
- Two handle for holding.
- Font side logo in two colour.
- Fine quality 8 number zip with stainless stell adjuster.

उपरोक्त दिये गये मानकों के अनुसार समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों को ध्यान में रखते हुए जनपद स्तर पर क्रय किये जाएंगे।

❖ नवीन शहरी आशाओं को बैग वितरण हेतु व्यवस्था-

- क्रय किये गये बैग को जनपद स्तर पर स्टॉक बुक में अंकित किया जाय एवं नवीन चयनित शहरी आशाओं के 8 दिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण के उपरान्त ही प्रशिक्षित शहरी आशाओं को बैग का वितरण किया जाये।

- 4.8.2 आशा ड्रग किट में उल्लेखित सामग्रियों के क्रय करने हेतु ₹0 300/- प्रति आशा की दर से मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्तर से धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा रही है। इसके आधार पर उपरोक्त तालिका में दी गई सामग्रियों में से उपलब्धता के आधार पर आवश्यक समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों को ध्यान में रखते हुए जनपद स्तर पर क्रय किये जाएंगे। ड्रग किट की नियमित आपूर्ति प्रतिमाह नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्टोर से बिन्दु संख्या 4.3 एवं 4.4 में उल्लेखित दिशा-निर्देश के अनुसार ए0एन0एम0 की सहायता से की जायेगी।

5. शहरी आशा मासिक बैठक

प्रदेश में स्वास्थ्य योजनाओं के गुणवत्तापरक क्रियान्वयन एवं शहरी आशाओं का नियमित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के उद्देश्य से नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रतिमाह शहरी आशा मासिक बैठकों का आयोजन किया जाना है। शहरी आशा मासिक बैठकों में आशाओं के क्षमता वर्द्धन के साथ-साथ भारत

सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त नवीन दिशा-निर्देशों एवं नवीन कार्यक्रमों के बारे में आशाओं को विस्तृत जानकारी प्रदान की जानी है। प्रत्येक माह नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर समस्त शहरी आशाओं की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक बैठक में सम्बन्धित क्षेत्र की ए.एन.एम. (जिन ए.एन.एम. के क्षेत्र में आशा कार्य कर रही हैं) द्वारा अवश्य प्रतिभाग किया जायेगा।

5.1 आयोजन स्थल- शहरी आशा मासिक बैठक हेतु नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आधारभूत सुविधा जैसे बैठने का स्थान, पेय जल की सुविधा, विद्युत सुविधा, क्रियाशील संचालन आदि की व्यवस्था होना आवश्यक है। बैठक के पर्यवेक्षण एवं संचालन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि किसी आयोजन स्थल में लॉजिस्टिक जैसे दूरी, जग, गिलास आदि का अभाव है तो इस हेतु कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध धनराशि का प्रयोग किया जा सकता है। बैठक में प्रभारी चिकित्साधिकारी के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर नियुक्त स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, शहरी स्वास्थ्य एवं कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग से सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारी के द्वारा प्रतिभाग किया जाना चाहिए।

5.2 शहरी आशा मासिक बैठक की माइक्रो प्लानिंग- मासिक बैठकों का आयोजन प्रत्येक माह की 25 तारीख को किया जाएगा। यदि माह की 25 तारीख को अवकाश अथवा टीकाकरण दिवस है तो अगले कार्यदिवस को बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रभारी चिकित्साधिकारी बैठक की तारीख में परिवर्तन की सूचना समस्त प्रतिभागियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को समय से उपलब्ध कराएंगे। बैठक का समय प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक रखा जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए आशाओं की बैठक समय से पूर्ण कर ली जाये ताकि उनके आवागमन में कठिनाई ना हो।

शहरी आशाओं की अन्य सामूहिक गतिविधियां इस प्रकार से नियोजित की जानी चाहिए जिससे शहरी आशा मासिक बैठक में लक्षित आशाओं का शत प्रतिशत प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। उस दिन कोई और गतिविधि न रखी जाये जिसमें आशाओं के प्रतिभाग की आवश्यकता हो। यदि अपरिहार्य कारण से किसी शहरी आशा द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं किया जाता है, तो ए.एन.एम. संबंधित आशा को बैठक की कार्यवाही से अवश्य अवगत कराये। इस स्थिति में आशा को मासिक बैठक हेतु अनुमोदित प्रतिपूर्ति राशि (रु० 150/-) देय नहीं होगी।

5.3 बैठक का एजेण्डा- प्रत्येक माह मासिक बैठक हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी के निर्देशन में एक एजेण्डा तैयार किया जायेगा।

क्र.सं.	विषय-वस्तु
1	पंजीकरण एवं स्वागत
2	आशा के कार्यों में आने वाली समस्याओं पर चर्चा व उसका निराकरण
3	अरबन हेल्थ इन्डेक्स रजिस्टर (यू.एच.आई.आर.)/आशा पेमेंट वाउचर/संबंधित प्रारूपों का अवलोकन एवं चर्चा
4	सम्बन्धित माह में आयोजित होने वाले अभियानों, विशेष दिवसों जैसे-विश्व स्तनपान दिवस, मातृ स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व एड्स दिवस आदि पर आशाओं की क्षमता वर्धन, राज्य एवं जनपद स्तर से प्राप्त नवीन दिशा-निर्देशों पर चर्चा।
5	आगामी माह की कार्य योजना पर चर्चा
6	शहरी आशा प्रतिपूर्ति राशि एवं आशा द्वारा किये जा रहे कार्यों के आधार पर अच्छा कार्य करने वाली आशाओं को प्रोत्साहित करना
7	आशा मासिक बैठक के दौरान गत माह आशाओं द्वारा जमा किये गये वाउचरों के सापेक्ष आशाओं के खातों में स्थानान्तरित की गयी धनराशि के संबंध में आशाओं को अवश्य अवगत कराना चाहिए। यदि किसी आशा द्वारा जमा किये गये वाउचर एवं स्थानान्तरित की गयी धनराशि में अन्तर है तो उसका कारण अभियुक्त कॉलम में अंकित किया जाना चाहिए

बैठक के प्रारम्भ में समस्त प्रतिभागियों का पंजीकरण अवश्य किया जाना चाहिए। प्रत्येक मासिक बैठक के लिये अलग रजिस्टर बनाया जाना चाहिये। आशा के अतिरिक्त अन्य प्रतिभागियों की उपस्थिति दूसरे पेज में अंकित किया जाना चाहिए। रजिस्टर का प्रारूप निम्नवत होगा-

बैठक की तिथि..... स्थान..... क्लस्टर का नाम.....

क्र.सं.	शहरी आशा का नाम	कार्यक्षेत्र	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1.					
2.					

क्र.सं.	प्रतिभागी का नाम	पद	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1.					
2.					

6. शहरी आशाओं हेतु यूनिफार्म दिये जाने हेतु दिशा-निर्देश-

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य कार्ययोजना वर्ष 2016-17 के FMR Code P.6.1.E के अन्तर्गत शहरी आशा यूनिफार्म हेतु रु० 450/- प्रति आशा की दर से अनुमोदित किया गया है। इस धनराशि का व्यय आशा द्वारा किया जायेगा, जिसके पश्चात उसके दिये बीजक (बिल) के अनुसार अधिकतम रु० 450/- का भुगतान PFMS के माध्यम से किया जायेगा।

- 6.1 आशाओं को यूनिफार्म के रूप में एक साड़ी दिये जाने हेतु धनराशि प्रदान की जा रही है। यह साड़ी क्रीम रंग की प्लेन होगी एवं उसमें चॉकलेट रंग का बॉर्डर होगा।
- 6.2 जिन आशाओं द्वारा सामान्यतः साड़ी के स्थान पर सलवार-कुर्ता पहना जाता है, उनके द्वारा साड़ी के स्थान पर क्रीम रंग का सलवार-कुर्ता एवं चॉकलेट दुपट्टा खरीदा जा सकता है।
- 6.3 प्रत्येक आशा उपरोक्त रंग के अनुसार साड़ी अथवा सलवार-कुर्ता एवं दुपट्टा स्वयं खरीदेगी।
- 6.4 आशाओं द्वारा यूनिफार्म खरीदने के पश्चात सत्यापन ए.एन.एम. द्वारा किया जायेगा।
- 6.5 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के उद्देश्य से DCAA द्वारा प्रतिमाह होने वाली आशा बैठकों में प्रतिभाग कर आशाओं द्वारा यूनिफार्म हेतु साड़ियों अथवा सलवार-कुर्ता एवं दुपट्टा का क्रय व उपयोग को सुनिश्चित किये जाने हेतु जिम्मेदारी दी गयी है।

- 6.6 आशाओं की यूनिफार्म हेतु लक्षित आशाओं के आधार पर अवमुक्त की जा रही है। वर्तमान में कार्यरत आशाओं को ही यूनिफार्म हेतु धनराशि प्रदान की जानी है, शेष धनराशि DHS में सुरक्षित रखी जायेगी तथा नवीन शहरी आशाओं के चयन के पश्चात उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार धनराशि आशाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. आशा डाटाबेस- ग्रामीण क्षेत्र के समान शहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाली आशाओं का डाटाबेस जनपद स्तर पर तैयार किया जाना है। उक्त डाटाबेस में आशाओं के सम्बन्ध में विभिन्न जानकारी जैसे कार्यक्षेत्र आच्छादित आबादी, शैक्षिक योग्यता, एकाउण्ट नं०, आधार कार्ड नं०, मोबाइल नं०, प्रशिक्षण की स्थिति आदि अंकित किये जाएंगे। उक्त डाटाबेस जनपद स्तर पर डी.सी.ए.ए. द्वारा अधुनान्त किया जाएगा। डाटाबेस हेतु एक्सेल शीट एवं दिशा-निर्देश कम्प्युनिटी प्रोसेस अनुभाग राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा जनपदों को पृथक से उपलब्ध कराया जा रहा है।

8. शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आशाओं द्वारा किये गये कार्यों के अभिलेखीकरण हेतु शहरी आशाओं को शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका उपलब्ध कराया जाना है। उक्त पंजिका के द्वारा न केवल आशा को अपने क्षेत्र में किये जाने वाले स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सूचनाएं एकत्रित करने में सहायता मिलेगी वरन् आशाओं की प्रतिपूर्ति राशि हेतु सत्यापन में भी सहायता मिलेगी।

- 8.1 शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका के मुद्रण हेतु एफ.एम.आर. कोड संख्या P.6.1.E के अन्तर्गत रु० 150/- प्रति आशा की दर से धनराशि मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्तर से अवमुक्त की जा रही है।

8.2 रजिस्टर का मुद्रण हेतु निम्न स्पेसिफिकेशन का प्रयोग किया जाना है-

क्र.सं.	विवरण	साइज	जी.एस.एम.	रंग	पृष्ठ
1	कवर पृष्ठ	28 से.मी. x 21 से.मी.	250 जी.एस.एम. आर्ट कार्ड	4 रंगों में	
2	रजिस्टर के अन्दर के पृष्ठ-2 स्टेप्लड	28 से.मी. x 21 से.मी.	80 जी.एस.एम. मेपलिथो	1 रंग में	

अतः आपसे अनुरोध है कि वित्तीय नियमों एवं ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेशियल मैनेजमेंट के नियमों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रों का मुद्रण एवं वितरण करवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(डा०सत्य मिश्र)

महानिदेशक

परिवार कल्याण

तददिनांक

पत्रांक: पत्रांक: प०क०/०८-प्रशि०/अरबन आशा (1)/2016-17 / तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त चिकित्सा वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें तथा व्यय विवरण समय से भेजवाना सुनिश्चित करें।
9. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त दिशा-निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
10. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त रीजनल कोऑर्डिनेटर, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश।

(डा०सत्य मिश्र)

महानिदेशक

परिवार कल्याण

8.2 रजिस्टर का मुद्रण हेतु निम्न स्पेसिफिकेशन का प्रयोग किया जाना है-

क्र.सं.	विवरण	साइज	जी.एस.एम.	रंग	पृष्ठ
1	कवर पृष्ठ	28 से.मी. x 21 से.मी.	250 जी.एस.एम. आर्ट कार्ड	4 रंगों में	
2	रजिस्टर के अन्दर के पृष्ठ-2 स्टेप्लड	28 से.मी. x 21 से.मी.	80 जी.एस.एम. मेपलिथो	1 रंग में	

अतः आपसे अनुरोध है कि वित्तीय नियमों एवं ऑपरेशनल माइडलाईन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नियमों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रों का मुद्रण एवं वितरण करवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(डा०सत्य मित्र)
महानिदेशक
परिवार कल्याण

पत्रांक: पत्रांक: प०क०/०८-प्रशि०/अरबन आशा (1)/2016-17/4835-286 तददिनांक
तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त चिकित्सा वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें तथा व्यय विवरण समय से भेजवाना सुनिश्चित करें।
9. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त दिशा-निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
10. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त रीजनल कोऑर्डिनेटर, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश।


(डा०सत्य मित्र)
महानिदेशक
परिवार कल्याण